प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 22.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा अजमानी पब्लिक स्कूल में शिक्षात्मक प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रुप में सम्मिलित होकर छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया

आज दिनांक 22.11.2023 को अजमानी पब्लिक स्कूल में शिक्षात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा कला, स्वास्थ्य,दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता आदि से संबंधित विभिन्न मॉडल्स प्रदर्शित किये गए। उक्त प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रुप में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी ,श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा भ्रमण कर समस्त मॉडल्स का निरीक्षण किया गया तथा छात्र -छात्राओं के कौशल व रचनात्मकता की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन कर छात्र- छात्राओं से शिक्षात्मक प्रदर्शनी के संबंध में वार्ता की गई तथा अपने इस प्रतिभा को और विकसित कर मेहनत व लगन से अध्ययन करते हुए उज्जवल भविष्य बनाने की शुभकामनाएं दी गयी।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त मनोज पुत्र रामनरेश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, परिवहन/बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.11.2023 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा औरंगाबाद ओवर ब्रिज के पास कस्बा मैगलगंज से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त मनोज पुत्र रामनरेश नि0ग्राम पकरिया थाना पिसांवा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 427/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मनोज पुत्र रामनरेश नि0ग्राम पकरिया थाना पिसांवा जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण
01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र
2.का0 अजय कुमार

<u>थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना शारदानगर के नेतृत्व में थाना शारदानगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.11.2023 को 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को कस्बा शारदानगर एवं ग्राम भरतपुर से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का विवरण</u>

1. मैना यादव उर्फ रामअचल यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी ग्राम व थाना शारदानगर खीरी
2. सुनील कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम भरतपुर थाना शारदानगर खीरी

<u>अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग</u>

1.मु0न0 61223/2023 मु0अ0स0 918/1992 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी बनाम मैना यादव

2. मु0न0 956/2022 धारा 128 सीआरपीसी बनाम सुनील कुमार

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1. उ0नि0 अरुण कुमांर थाना शारदानगर खीरी,

2.हे0का0 अवधेश सिंह थाना शारदानगर खीरी

3.का0 शिवम मिश्रा थाना शारदानगर खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद नि0 परवी थाना हैदराबाद जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना हैदराबाद पर मु0अ0सं0 482/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त रामू सिंह पुत्र गंगा सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रामू सिंह पुत्र गंगा सिंह नि0 सिकटिहा थाना ईसानगर जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 468/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 202 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **202 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 शराब भट्टी** बरामद कर **10 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **08 अभियोग** पंजीकृत किए गए।